भारत में कमजोर वर्ग का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

प्रकाश सिंह*

भारत में कमजोर वर्ग अस्तित्व में है। यह वर्ग सुविधाविहीन व एक वर्ग की तुलना में निम्नस्तरीय जीवन व्यतीत करने को बाध्य है। कमजोर वर्ग का निर्माण अनेक वर्गों से मिलकर हो रहा है। संवैधानिक रूप से निम्नलिखित तीन समुदायों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग) को कमजोर वर्ग माना गया है –

अनुसूचित जाति :–

भारतवासी विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के वारिस हैं। वसुधैव कुटुम्बकम की बात करने वाले लोग कैसे जातिप्रथा में बंट गए, यह हमारे देश की सबसे बड़ी त्रासदी है। जातिप्रथा ने समाज के एक तबके को पद दलित कर दिया है। यह त्रासदी पूरे समाज की है, जो छुआछूत को बढ़ावा देती है। इतिहासकारों के पास भी जातिप्रथा के उद्‌गम को लेकर प्रामाणिक उत्तर नहीं है। सब कुछ अनुमान पर आधारित है। कालचक्र सब कुछ बदल देता है, लेकिन जाति प्रथा को नहीं बदल सका। वैसे तो विश्व की समस्त जीवित अथवा मृत सभ्यताओं की सामाजिक व्यवस्थाओं में स्तरीकरण की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रही है। भारतीय समाज भी स्तरीकरण की प्रक्रिया से अछूता नहीं है, अपितु यह भी उच्च एवं निम्न स्तरों में विभाजित अनेकानेक इकाईयों एवं व्यवस्थाओं पर आधारित रहा है जिनमें सर्वाधिक प्रमुख व अनोखी व्यवस्था जाति प्रथा है। इसके आधार पर हिन्दू समाज अनेक जातियों एवं उपजातियों में विभक्त रहा है। इस जातीय संस्तरण में निम्नतम स्थान अस्पृश्यों का था जिन्हें अब अनुसूचित जातियों के

***शोधछात्र, समाजशास्त्र, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर**

सम्बोधन से जाना जाता है। भारतीय समाज में सोलह प्रतिशत आबादी है जिसे अनुसूचित जाति कहा जाता है। इस आबादी को सवर्ण समाज हेय दृष्टि से देखता है। वे अक्सर इस पूरे समुदाय को अयोग्य, पियक्कड़, गंदा, धरती पर बोझ आदि समझकर उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ये जातीय इकाइयों में सबसे निम्न स्तर पर थे, जो 'हरिजन' या 'अनुसूचितजाति' या परम्परागत रूप में 'अन्त्यज' या 'अस्पृश्य' कहलाते हैं। समाज के इन निम्न स्तर के लोगों को परम्परावादी व्यवस्था में निम्न सामाजिक और कर्मकाण्डीय प्रस्थिति का द्योतक माना जाता रहा एवं इन्हें विभिन्न प्रकार की अयोग्यताओं से गुजरना पड़ता था। आंग्ल भाषा में इनको अछूत कहा गया है। सन् 1930 में भारत सरकार ने इन लोगों के सम्बन्ध में एक उचित शब्द ढूँढने की चेष्टा की जिससे इनके सम्बन्ध में कानूनी और प्रशासकीय कार्यवाही की जा सके। अतः इनको 'निम्न वर्गों' और 'बाह्यय जातियों' के नाम से पुकारा गया, लेकिन भारत सरकार की एक्ट 1935 सेक्शन 309 के अनुसार साइमन कमीशन ने इनको अनुसूचित जाति नामकरण दे दिया। भारत वर्ष के विभिन्न हिस्सों में इन अछूत जातियों को अनुसूचित वर्गों में रखा गया। स्वतंत्रता–प्राप्ति के बाद इन शोषित जातियों के हितों की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय संविधान में इन जातियों की एक अलग विस्तृत सूची तैयार की गई है जिसके कारण उन्हें अनुसूचित जाति कहते हैं। भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों के लिये प्रावधान किया है कि "किसी भी प्रदेश या केन्द्रशासित प्रदेश में राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति किन्हीं जातियों, प्रजातियों या जनजातियों या उनके भाग या जातियों, प्रजातियों या जनजातियों के उप समूहों को विशिष्ट घोषित कर सकता है और वे उस प्रदेश या केन्द्र शासित प्रदेश के सम्बन्ध में संविधान के सन्दर्भ में अनुसूचित जातियाँ मानी जायेंगी।"

सामान्यतः अनुसूचित जातियों को अस्पृश्य जातियाँ भी कहा जाता है, अतः इनकी परिभाषा अस्पृश्यता के आधार पर भी की गई है। के.एन.शर्मा के अनुसार, 'अस्पृश्य जातियाँ वे हैं, जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाय और उसे पवित्र होने के लिये कुछ कृत्य करने पड़ें।' डी.एन. मजूमदार के अनुसार, 'अस्पृश्य जातियाँ वे हैं, जो विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक निर्योग्यताओं से पीड़ित हैं, जिनमें से बहुत–सी निर्योग्यताएँ उच्च जातियों द्वारा परम्परागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू की गई हैं।'

अनुसूचित जातियों की सूची

क्र.सं.	जाति	क्र.सं.	जाति	क्र.सं.	जाति
1.	अगरिया	23.	बोरिया	45.	खरोट
2.	बधिक	24.	चमार (धूसिया, झूसिया, जाटव)	46.	खरवार (बनवासी को छोड़कर)
3.	बादी	25.	चेरो	47.	खटिक
4.	बहेलिया	26.	डाबगार	48.	कोल
5.	बैगा	27.	ढांगर	49.	कोरी
6.	बैसवार	28.	धरकार	50.	कोरवा
7.	बैजनियाँ	29.	धोबी	51.	लालबेगी
8.	बाजगी	30.	डोम	52.	मझवार
9.	बलाहार	31.	डोमर	53.	मजहबी
10.	बलई	32.	दुसाध	54.	मुसहर
11.	बाल्मिकी	33.	धरमी	55.	नट
12.	बंगाली	34.	धसियां	56.	पंखा
13.	बनमानुष	35.	गुआल	57.	परहिया
14.	बॉसफोर	36.	हबूरा	58.	पासी,तरमाली
15.	बरवार	37.	धानुक	59.	पटारी
16.	बसोर	38.	हारी	60.	रावत
17.	बवरिया	39.	हला	61.	सहरिया
18.	बेलदार	40.	कलाबाज	62.	सनोरिया
19.	बोरिया	41.	कन्जर	63.	सांसिया
20.	भन्टू	42.	कपरिया	64.	शिल्पकार
21.	भुइया	43.	करवाल	65.	तुरैहां
22.	भुइयार	44.	खैरहा	66.	गोंड़

अनुसूचित जनजाति :– भारतीय समाज विभिन्न धर्मों एवं संस्कृतियों का संगम है। जनजातीय समुदाय भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। भारत में अनेकों जनजातीय समुदाय प्राचीन समय से ही पाये जाते हैं। रामायणकालीन शबरी अथवा महाभारतकालीन एकलव्य भील जनजाति के प्रतीक के रूप में हमारे सामने आते हैं। 'जनजाति किसी भी ऐसे स्थानीय समुदायों के समूह को कहा जाता है, जो एक सामान्य भू–भाग पर निवास करता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का व्यवहार करता हो।' प्रत्येक जातीय समाज की अपनी एक अलग आन्तरिक स्थिति होती है। यही तथ्य जनजातियों के लिये भी सत्य सिद्ध होता है। जनजातियों के अध्ययन से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि विभिन्न जनजातियों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, उनकी अपनी कुछ निजी प्रथाएँ एवं परम्पराएँ है, जिसका वे अनवरत् रूप से पालन करते आ रहे हैं।

जनजातियाँ विश्व के लगभग सभी भागों में पाई जाती हैं। भारत में जनजातियों की आबादी अफ्रीका के बाद सर्वाधिक है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये लोग भारतीय प्रायद्वीप के मूल निवासी हैं। मूल निवासी होन के कारण इन्हें सामान्यतया 'आदिवासी' कहा जाता है। वैदिक व महाकाव्य साहित्य के साथ ही, प्राचीन एवं मध्यकालीन सूचना स्रोतों में विभिन्न जनजातियों – जैसे, भारत–भील, कोल, किरात, किन्नर, कीरी, मत्स्य, निषाद और बानर आदि का वर्णन मिलता है।

ब्राह्मण काल में जाति–प्रथा के आगमन से पूर्व समाज विभिन्न जनजातियों में विभाजित था। जनजाति, बिना किसी सौपानिक विभेदीकरण के, एक सजातीय और आत्मनिर्भर इकाई थी। समाज में प्रत्येक जनजाति को बराबर का सम्मान व दर्जा प्राप्त था। सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता के कारण प्रत्येक जनजाति एक मुखिया के तहत संगठित थी। जनजाति के सदस्यों के द्वारा सबसे सक्षम व्यक्ति को मुखिया के रूप में चुना जाता था। उसका मुख्य कर्तव्य कबीले की सुरक्षा था। धीरे–धीरे मुखिया ने कबीले पर अधिकार जमाना आरंभ कर दिया और अपने स्वयं के लिये कुछ सुविधाएँ उपलब्ध करा लीं। जनजाति का मुखिया बने रहने के लिये उसका युद्ध एवं सुरक्षा में कुशल होना आवश्यक होता था। इस प्रक्रिया से गणराज्यों तथा महाराजाओं की संस्थाओं व व्यवस्थाओं का सूत्रपात हुआ। जनजातियाँ वृहत साम्राज्यों, गणराज्यों तथा महाराजाओं के साथ संबद्ध थीं। प्रत्येक जनजाति की अपनी स्वयं की प्रशासन प्रणाली थी। जनजातियों के मध्य सत्ता का विकेन्द्रीकरण था। परम्परागत जनजातीय संस्थाएँ वैधानिक, न्यायिक तथा कार्यपालिक शक्तियों से निहित थी। बिहार के सिंहभूम में 'मानिकी' व 'मुंडा' प्रणालियाँ तथा संथाल परगना में 'मांझी' व 'परगनैत' की प्रणालियाँ आज की पारम्परिक जनजातीय संस्थाओं के कुछ वर्तमान उदाहरण हैं। इनका संचालन जनजातीय मुखियाओं के द्वारा किया जाता है, जो अपनी–अपनी जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक मामलों पर विशिष्ट प्रभाव रखते हैं। जनजातीय समुदाय ऐसा मानव समुदाय है, जिसका निवास स्थान, भाषा एवं संस्कृति समरूप होते हैं। यह जाति से भिन्न है। जी.एस. घुरिये ने जनजातियों को 'पिछड़े हुए हिन्दू' कहा है।

डॉ. मजूदार के अनुसार, 'एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भू–भाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों को एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं।'

जिस प्रकार शूद वर्ग में कहे गये अस्पृश्यों की दयनीय स्थिति को देखते हुए इस वर्ग के कल्याण हेतु इन्हें अनुसूचित किया गया और कहे गये अस्पृश्यों को अनुसूचित जाति नाम दिया गया, इसी प्रकार जनजातीय समाज की समस्याओं का उपचार करने एवं जनजातियों को संतोषजनक जीवन–स्तर प्रदान करने के लिए अनेक जनजातियों को अनुसूचित किया गया और उन्हें अनुसूचित जनजाति नाम दिया गया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत उन जनजातियों की एक सूची तैयार की गई, जो कुछ मानकों को पूरा करती थीं, जिसकी उत्पत्ति किसी जनजातीय समुदाय द्वारा हुई हो, जो भौगोलिक रूप से किसी पृथक् एवं पिछड़े क्षेत्र में निवास करती हो, जिसका जीवन आदिम विशेषताओं से युक्त हो तथा जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ी हुई हो। इन मानकों के आधार पर भारत में विद्यमान लगभग 900 जनजातियों में से 541 जनजातियों की एक सूची तैयार की

गई। इन्हीं सूचीबद्धजनजातियों को अनुसूचित जनजातियाँ कहा जाता है। किन्तु विगत 5–6 दशकों में अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित जनजातियों पर किये गये महत्वपूर्ण अध्ययनों से यह बात सामने आयी है कि अनुसूचित जनजाति की सूची में अनेक ऐसे मानव समूहों को स्थान दे दिया गया है, जो जनजाति ही नहीं माने जा सकते। दूसरी ओर, कुछ समूह, जो वास्तव में जनजातीय हैं तथा जिन्हें अनुसूचित किये जाने की आवश्यकता है, उन्हें अनुसूचित नहीं किया गया है। इस ओर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में भारत में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 8.2 से भी अधिक है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 8.43 करोड़ से भी अधिक थी। इस जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या 188 लाख संयुक्त मध्य प्रदेश में निवास करती है। तत्पश्चात् महाराष्ट्र में 86 लाख, उड़ीसा में 81 लाख, गुजरात में 75 लाख, राजस्थान में 71 लाख, झारखण्ड में 70 लाख, आंध्र प्रदेश में 50 लाख, पश्चिम बंगाल में 44 लाख, कर्नाटक में 35 लाख एवं बिहार में 7.6 लाख तथा उत्तर प्रदेश में 11 लाख जनजातीय जनसंख्या है। गोवा, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में जनजातीय जनसंख्या के आँकड़े उपलब्ध नहीं है। 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की राष्ट्रीय साक्षरता दर 47.1 प्रतिशत है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है।

'जनजाति' शब्द की उत्पत्ति तथा अर्थ के बारे में विभिन्न विचार हैं। व्युत्पत्ति शास्त्र के अनुसार, अंग्रेजी शब्द 'ट्राइब' (जनजाति) की उत्पत्ति त्रिभुज शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ तीन अंग है, यानी राजा, रक्षा तथा हस्त–कलाकार। सेमवासियों के लिये 'ट्राइब' एक राजनीतिक संस्था के रूप में था। भारत के समान ही पश्चिमी दुनिया में जनजाति शब्द का अर्थ आज के प्रचलित अर्थ से सर्वथा भिन्न था। जनजाति कई जिलों से मिलकर बनी एक उच्चतम राजनीतिक इकाई थी, जो कि वस्तुतः कबीलों का संयोजन था। उसके अधिकार क्षेत्र में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र था और उसका अपने लोगों के ऊपर प्रभावी नियंत्रण था। किसी निश्चित भू–क्षेत्र विशेष पर किसी जनजाति का स्थायी निवास उसका भौगोलिक परिचय देता था। किसी विशेष जनजाति का निश्चित भू–अधिकार क्षेत्र का नामकरण सामान्यतया उस जनजाति के ऊपर हुआ करता था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि भारत देश का नाम शक्तिशाली 'भारत जनजाति' से लिया गया है। इसी प्रकार मत्स्य गणराज्य, जो कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रबलरूप में अस्तित्व में था, का भी उद्भव 'मत्स्य जनजाति' से हुआ माना जाता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मीणा जनजाति के बारे में विश्वास किया जाता है कि ये लोग मत्स्य जनजाति के वंशज हैं। मीणाओं का विश्वास है कि इस संसार का मूल 'मत्स्य' अथवा 'मीन' अर्थात् मछली से हुआ है। मीणा लोग मत्स्यावतार को भगवान का एक अवतार मानकर पूजा करते हैं। राजस्थान के दौसा जिले में मत्स्यावतार का बहुत बड़ा मंदिर भी स्थित है।

उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियों के नाम इस प्रकार हैं।

1. भोटिया 2. बुक्सा 3.जौनसारी 4. राजी 5. थारू 6. गोंड़, धुरिया, नायक, ओझा, पाथरी, राज गोंड़ (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में) 7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में) 8. सहरिया (ललितपुर जिले में) 9.परहरिया (सोनभद्र जिले में) 10.बैगा (सोनभद्र जिले में) 11. पंखा, पोंका (सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में) 12.अगरिया(सोनभद्र जिले में) 13. पतारी (सोनभद्र जिले में) 14.चेरो (सोनभद्र और वाराणसी जिलों में) 15. भुइया, भुइन्या (सोनभद्र जिले में)। अन्य पिछड़े वर्गों की अन्य पिछड़ा वर्ग में मूल रूप से गैर–दलित निम्न और मध्यवर्ती जातियाँ या समूह आते हैं, जो पारम्परिक व्यवसायों, जैसे कृषि, पशु–पालन, हस्तकला, शिल्प और पेशेगत सेवाओं में संलग्न रहे हैं। मूलतः पिछड़ेपन का निर्धारण जातिगत–स्थिति व व्यवसाय के आधार पर किया जाता है। ये वर्ग या समूह तथाकथित दलितों से ऊपर और द्विज जातियों से नीचे माने जाते हैं। वास्तव में 'मण्डल आयोग' की सिफारिशों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 16 (4) में उच्चारित पिछड़ापन मुख्यतः सामाजिक है और यह जरूरी नहीं है कि यह सामाजिक और शैक्षणिक दोनों ही हो। वास्तव में इस श्रेणी या वर्ग का पिछड़ापन व्यक्तियों की नहीं, बल्कि समुदायों की विशेषता है जो अपनी प्रकृति के अनुसार संचालित होती रहती है। यह पिछड़े वर्ग नहीं है, अपितु समुदायों के समूह हैं। इनके अंतर्गत बड़ी संख्या में व्यक्तियों की मिश्रित श्रेणियाँ आती हैं जो असम्बद्ध एवं लचीली होती हैं। इस रूप में 'अन्य पिछड़ा वर्ग' अत्यधिक अस्पष्ट श्रेणी है। वास्तव में 'पिछड़े वर्ग' को अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों में नहीं रखा गया है।

सन्दर्भः

1. विवेक कुमार (2007), दलित समाज पुरानी समस्याएँ नयी आकांक्षाएँ (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन), सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 5.
2. गुप्ता, एम.एल., शर्मा, डी.डी. (2005), समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ. 414.415.
3. शर्मा, के.एन., भारतीय समाज और संस्कृति, पृ. 262.
4. Mazumdar, D.N. (1958), Races and Culture of India, Asia Publishing House, Bombay, p. 336.
5. तवर, गुलनाज़ (2007), बारेला जनजातीय जीवन एवं संस्कृति, आदिवासी लोक कला एवं तुलसी साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद्, भोपाल, आमुख.
6. वर्मा, रूपचंद्र (2003), भारतीय जनजातियाँ, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 1.
7. घुरिये,जी.एस., काल्ड ट्रिब्यूज, बैकवर्ल्ड हिन्दूज.
8. Mazumdar, D.N. (1958), Races and Culture of India, Asia Publishing House, Bombay, p. 93.
9. वर्मा, रूपचंद्र (2003), भारतीय जनजातियाँ, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 1–2.
10. जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, वार्षिक रिर्पोट,2009–2010, पृ. 56.